## Central Goods \& Services Tax Act, 2017

## Section 94 : Liability in other cases

(1) Where a taxable person is a firm or an association of persons or a Hindu Undivided Family and such firm, association or family has discontinued business-
(a) the tax, interest or penalty payable under this Act by such firm, association or family up to the date of such discontinuance may be determined as if no such discontinuance had taken place; and
(b) every person who, at the time of such discontinuance, was a partner of such firm, or a member of such association or family, shall, notwithstanding such discontinuance, jointly and severally, be liable for the payment of tax and interest determined and penalty imposed and payable by such firm, association or family, whether such tax and interest has been determined or penalty imposed prior to or after such discontinuance and subject as aforesaid, the provisions of this Act shall, so far as may be, apply as if every such person or partner or member were himself a taxable person.
(2) Where a change has occurred in the constitution of a firm or an association of persons, the partners of the firm or members of association, as it existed before and as it exists after the reconstitution, shall, without prejudice to the provisions of section 90 , jointly and severally, be liable to pay tax, interest or penalty due from such firm or association for any period before its reconstitution.
(3) The provisions of sub-section (1) shall, so far as may be, apply where the taxable person, being a firm or association of persons is dissolved or where the taxable person, being a Hindu Undivided Family, has effected partition with respect to the business carried on by it and accordingly references in that sub-section to discontinuance shall be construed as reference to dissolution or to partition.

Explanation.-For the purposes of this Chapter,-
(i) a "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a firm;
(ii) "court" means the District Court, High Court or Supreme Court.

## धारा 94 :अन्य मामलों में दायित्व

(1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,-
(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को बंद किया ही न गया हो; और
(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद किए जाने के होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकतः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उसे बंद किए जाने से पूर्व अधिरोपित किया गया है या बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह स्वयं कराधेय व्यक्ति था।
(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है वहां फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान था और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या संगम से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकतः दायी होंगे।
(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, या जहां कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, ने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, वहां उस उपधारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का तदनुसार ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

